वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 95/2025 दिनांक- 12.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-12.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-कोतवाली:-चोरी करने वाले 02 अभियुक्त चोरी के सामान मोटरसाईकिल का 03 अदद एल्मुनियम की रिंग व 04 अदद साकर के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

वादी अरूण सिंह पुत्र श्यामनारायण सिंह नि0 हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी के पिता की दुकान सिंह ट्रेडर्स है। जिसमे स्क्रैप का सामान का व्यापार होता है। दिनांक 18/02/2025 को रात्रि लगभग 10.00 बजे दो अज्ञात व्यक्ति वादी पिता की दुकान मे चोरी करने के लिए घुस आये तथा प्रार्थी ने जब विरोध किया तो वो लोग प्रार्थी को गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने लगे प्रार्थी ने देखा कुछ गाडी का साकर 50 एल्मुनियम के पार्टस तथा ट्रक की रिम गायब है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 305,352,351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक उ0नि0 अतीक अहमद मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 33 वर्ष 2. चन्दन चौहान S/Oमुन्नु चौहान ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 29 वर्ष को जय बजरंग बली धर्मकाटा के पास खण्डहर के पास गेहूँ के खेत से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोटरसाईकिल का 03 अदद एल्मुनियम की रिंग व 04 अदद साकर बरामद किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरणः-

1. अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 33 वर्ष
2. चन्दन चौहान पुत्र मुन्नु चौहान ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 29 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. चोरी का मोटरसाईकिल का 03 अदद एल्मुनियम की रिंग
02. 04 अदद साकर बरामद।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनाक 16.02.25 को रात्रि में मैं और चंदन चौहान पुत्र मन्नू चौहान ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ दोनों लोग मिलकर हाफिजपुर अरुण सिंह के कबाड़ की दुकान से मोटरसाइकिल का चार साकर और तीन रिंग चुराए थे चुरा कर गेहूं की खेत में बेचने के लिए छुपा दिए थे जब कोई खरीदने वाला नहीं मिला तो आज हम लोग उसे अपने घर लेकर जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। दिनांक 18 .2.25 को रात में मैं और दिनेश चौहान पुत्र नन्दा चौहान ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली व चंदन चौहान पुत्र मुन्नू चौहान भी अरुण सिंह के कबाड़ की दुकान में चोरी करने के लिए गए थे। दुकान मालिक के जाग जाने पर चंदन चौहान पुत्र मुन्नू चौहान वहा से भाग गया था हम लोग कुछ सामान चुरा नहीं पाए थे मुझे और दिनेश चौहान को दुकान के मालिक ने पकड़ लिया था। इस प्रकार बार बार अपने गलती की माफी मांगते हुए अपना बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 95/25 धारा 305,352,351(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ , बाद बरामदगी धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

आपराधिक इतिहासः-

अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 33 वर्ष

1. 0568/2024 धारा बीएनएस 303(2), 317(2) थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

02.थाना-कप्तानगंज:- हाई स्कूल परीक्षा 2025 में नकल व कापी लिखवाते हुए 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा स्टेटिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार पुत्र राम आसरे सिंह निवासी ग्राम नौवरार तुकवारा महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि प्रियंका सिंह इण्टर कालेज नरफोरा बिलारी आजमगढ़ में विद्यालय के कार्यालय के ऊपर बने कमरे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरनाथ पाठक, व अन्य स्कूल के स्टाफ के द्वारा डेस्क बेन्च लगाकर उत्तर पुस्तिका लिख रहे है। प्रधानाचार्य अमरनाथ पाठक व अन्य पकड़े गये स्टाप का यह कृत्य धोखाधड़ी साजिस एवं परीक्षा अधिनियम का दण्डनीय अपराध होना पाया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 65/25 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस व 8(2), 8(3), 11(3), 13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधीनियम बनाम 07 नफर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 11.03.2025 को उ0नि0 माया पति पाण्डेय मय हमराह के साथ परीक्षा केन्द्र प्रियंका सिंह इण्टर कालेज नरफोरा विलारी आजमगढ़ पर मौजूद थे कि पुलिस व केन्द्र पर नियुक्त व्यवस्थापक राजेश कुमार राय की संयुक्त चेकिंग में विद्यालय उपरोक्त के प्रबन्धक व व्यवस्थापक द्वारा अतिरिक्त कक्ष में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका लिखवाते हुए पकडा गया जिसमें क्रमंशः केन्द्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य 1.अमरनाथ पाठक पुत्र अनिरूद्ध पाठक निवासी लखनूपुर ग्राम कप्तानगंज,2. अंकिता पुत्री राम दुलार मौर्य निवासी बड़सरा आइमा, 3. माधुरी गौड़ पुत्री अशोक गौड़ निवासी ओरा थाना कप्तानगंज, 4. डी0पी0 सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी नरफोरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को समय करीब 15.45 बजे अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से 06 अदद उत्तर पुस्तिका व 03 अदद नकल साम्रगी को बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 65/25 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस व 8(2),8(3), 11(3), 13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधीनियम थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.केन्द्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य अमरनाथ पाठक पुत्र अनिरूद्ध पाठक निवासी लखनूपुर ग्राम कप्तानगंज,

2. अंकिता पुत्री राम दुलार मौर्य निवासी बड़सरा आइमा,

3. माधुरी गौड़ पुत्री अशोक गौड़ निवासी ओरा थाना कप्तानगंज,

4. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डी0पी0 सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी नरफोरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़

बरामदगी:-

01. 06 अदद उत्तर पुस्तिका,हाईस्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश 2025,

02. 03 अदद नकल सामग्री

उत्तर प्रदेश पुलिस